उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–430/ग्यारह–9(78)/16–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(154)–2016

दिनांक: 21 मार्च, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 03 मार्च, 2016 से जिला आपदा राहत समिति को बुन्देलखण्ड में सूखे से प्रभावित परिवारों को वितरण हेतु माल की बिकी के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।